

साक्ष्य वादीगण दिनांक 13-12-19 को पेश हो।

उपसभ अधिकारी  
महारा (जिज्म दौज)

दिनांक 13-12-19

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय उपस्थित। वादीगण को पूर्व में साक्ष्य के लिये पर्याप्त अवसर दिये जा चुके हैं। वादीगण की आज भी साक्ष्य उपस्थित नहीं है। वकील वादीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये कहा गया तो साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने का कोई समुचित कारण नहीं बताया तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण वादीगण की साक्ष्य में दिनांक 12-09-19 से लम्बित है तथा वादी को साक्ष्य के लिये दिनांक 12-09-19 से दिनांक 13-12-19 तक 6 अवसर दिये गये तत्पश्चात् दिनांक 22-10-19 व 11-12-19 को अंतिम मौका दिया गया। किन्तु वादीगण साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। वादीगण को साक्ष्य के लिये ओर अवसर देने का कोई औचित्य नहीं है तथा प्रकरण में कोई कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वादी अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं हैं।

अतः वादी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है। वादी का वाद अन्तर्गत आदेश 17, नियम 3 जा.दी. में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश सुनाया गया।

उपसभ अधिकारी  
महारा (जिज्म दौज)